

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर

पत्रांक:

6129/144

सीतापुर, दिनांक 20-03-2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

लखनऊ मण्डल

उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के किमी० 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-11/1092/आर०ई०सी०/2024/उ०प्र० (पार्ट-2)/ दिनांक-16/03/2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 07/03/2024 को क्षेत्रीय सशक्त समिति की चतुर्थ बैठक में उक्त प्रपोजल पर विचार विमर्श किया गया तदोपरान्त क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी है जो निम्नानुसार है-

क्र०	आपत्ति	निस्तारण की स्थिति
1	Compensatory afforestation land shall be made free from all the encroachments and area to be fenced.	रोपण की जाने वाली भूमि पर कार्य कराने के दौरान यदि कोई अतिक्रमण पा जाता है तो अतिक्रमण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराकर वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
2	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plants.	रोपण क्षेत्र में पौधों की सिंचाई हेतु प्राक्कलन में सौर पम्प स्थापित किये जाने का प्रावधान किया जायेगा।

भवदीय

(नवीन खण्डेलवाल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सीतापुर

पत्रांक:

/

उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवीन खण्डेलवाल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग

सीतापुर